

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 8 अ-82/16-17/ भू-अर्जन/ 5807 बैतूल दिनांक 22/05/2017

ईशतहार

24

म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम पचधार प.ह.न. 118 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नंबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

स.क.	खसरा नं.	रकबा हे.में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक/भूमि स्वामी का नाम
1	256/11	0.299	0.179	दिलीप व0 रामचरण जाति किराड़ सा0 देह
2	256/13	0.343	0.183	सुदामा व0 रामचरण जाति किराड़ सा0 देह
3	277	4.848	2.520	नंदकिशोर व0 मददती, इमला, कमला, देवकी पिता मददती किराड़ सा0 देह
4	261/7	2.317	1.510	शिपकिशोर व0 मारोती, अनीता, रेखा पिता मारोती किराड़ सा0 देह
5	261/2	0.607	0.420	घुडू व0 सुक्या नरबदी बेवा सुक्या सा0 देह
योग			4.812	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम पचधार तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 4.812 हे0 भूमि एवं उस पर निर्मित परिसम्पतियों को आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन) राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22-5-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशांक मिश्र)

कलेक्टर,

बैतूल

पृ0क0 8 अ-82/वर्ष 16-17/भू-अर्जन 5807 बैतूल दिनांक ²²/₂₄ 05 / 2017
प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पंपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पचधार तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल